न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 112/2022 जिला सीकर

1. गोविन्दा पुत्र बोदू
2. चौथू पुत्र बोदू
3. अणची पत्नी रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र (फोज में होने से जर्ये ममता पत्नी राजेन्द्र)
5. कुरडाराम पुत्र पन्ना
6. चांवली पत्नी धूडाराम
7. बाबूलाल पुत्र धूडाराम
8. मंगला पुत्र धूडाराम

समस्त जाति मेघवंशी, निवासी जुराठडा, तहसील व जिला सीकर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी सीकर, जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत जुराठडा जर्ये सरपंच, तहसील व जिला सीकर।

—रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जी सीकर, जिला सीकर दिनांक 26.11.2021 ई0 प्रकरण संख्या 488/2022

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. रेस्पों. नं. 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक —12.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.11.2021 के खिलाफ दिनांक 10.08.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 26.11.2021 के द्वारा ग्राम जुराठडा तहसील सीकर के ख.नं. 1272,1275, 1274, 1273, 1277, 1282, 1315 कुल किता 07 में से रास्ते रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने तहसीलदार सीकर के दिनांक 26.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

3. उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 26. 11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

5. वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी. सी. व प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 पेश किया। शा.फा. हो। उभयपक्ष की बहस प्रा.पत्र पर सुनी गई। वकील अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के संलग्न प्रमाणित दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। वकील अपीलांट ने संशोधित उनवान पेश किया। शाा. फा. हो। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 1275 व 1274 वाके ग्राम जुराठडा तहसील व जिला सीकर के रिकॉर्डेड खातेदार व काश्तकार हैं। आराज़ी खसरा नम्बर 1275 में पश्चिमी और (खसरा नम्बर 1272 के अडवा) कभी कोई रास्ता न है न कभी रहा है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 1275 में से रास्ते की मौका रिपोर्ट 23.11.2021 व अभिशं ाा 26.11.2021 ई0 को कर माननीय उपखण्ड अधिकारी जी सीकर को भिजवाई गई व उसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी सीकर ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवेहलना कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपना निर्णय जिसमें खसरा नम्बर 1275 की हद तक के लिए दिनांक 26.11.2021 को प्रसारित कर दिया। ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव खसरा नम्बर 1275 हेतु नहीं है बल्कि 1272 हेतु था व उसके पश्चात हरिजनों के खेत जो खसरा नम्बर 1274 में से 1315 तक था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को न पढकर अपना निर्णय में गम्भीर कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 1275 के पश्चिम और प्रार्थी के पीलर व तार फैसिंग की हुई है व मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 1272 जो खसरा नम्बर 1275 के पश्चिम और है व उसमें ग्रेवल सडक बनी हुई है ग्रेवल सडक का निर्माण करीब 10 वर्ष पूर्व नरेगा व्यवस्था के तहत बना हुआ है इससे पूर्व कच्चा रास्ता था उक्त खसरा नम्बर 122 से 1274 में होता हुआ आगे जाता है। मौका रिपोर्ट जो पटवारी द्वारा की गई है वह कभी मौके पर नहीं आये न तहसीलदार जी व गिरदावर आये। मौके रिपोर्ट पर खसरा नम्बर 1272 के खातेदार गोपाल व सुल्तान के हस्ताक्षर मौजूद है एवं 1275 के किसी भी खातेदार के कोई हस्ताक्षर नहीं है। कुरडाराम के हस्ताक्षर कर रखे है प्रार्थी कुरडाराम के नहीं है न प्रार्थी इस प्रकार के हस्ताक्षर करता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। न्याय का यह सामान्य सिद्धान्त है कि कोई कार्यवाही के पूर्व खातेदार को सुना जाना आवश्यकीय है जिस पहलू पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है। विवादित रास्ते का तहसीलदार जी, पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा राजस्व कैम्प में अभियान में समस्त कार्यवाही 1 दिन में ही सम्पूर्ण कर दी गई है से स्पष्ट है कि कब किसके सामने मौका देखा गया एवं मौके के पूर्व किसको नोटिस दिया गया। विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नही होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित करने में भूल की है । ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 26.11.2021 के द्वारा ग्राम जुराठडा तहसील सीकर के ख.नं. 1272,1275, 1274, 1273, 1277, 1282, 1315 कुल किता 07 में से रास्ते रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने तहसीलदार सीकर के दिनांक 26.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 26.11.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नम्बर 1275 व 1274 वाके ग्राम जुराठडा में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया, पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 05.08.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, तहसीलदार सीकर जिला सीकर के प्रस्ताव एवं सरपंच

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

ग्राम पंचायत जुराठडा संख्या 6 (3) दिनांक 20.10.2021 एवं सरपंच ग्राम पंचायत, जुराठडा की पंचायत बैठक दिनांक 22.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, जुराठडा की पंचायत बैठक दिनांक 22.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 2 एवं उसकी पालना में कर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 के अनुसार एवं तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 01.12.2022 के अनुसार प्रस्ताव राजस्व ग्राम जुराठडा पटवार मण्डल जुराठडा तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1610/1272 रकबा 2.71 है0 में से 0.04 है0 प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की गई है एवं पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार ख.नं. 1611/1275 रकबा 0.04 है0 गै.मु. रास्ता सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1604/1274 रकबा 0.02 है0 गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.05 है0 निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 1274, 1275 की हद तक रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विवादित खसरा नम्बर 1274, 1275 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर जिला सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर जिला सीकर का निर्णय दिनांक 26.11.2021 का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(असलम शेर खान)

अति.संभागीय आयुक्त,

जयपुर

Scanned with OKEN Scanner